राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

ब्रेक्जिट समर्थक बोरिस जॉनसन होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री

>> 11

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 44

मूल्य ₹5 .00, नई दिल्ली, बुधवार, 24 जुलाई 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन रद, एनबीसीसी पूरी करेगी परियोजनाएं

42,000 घर खरीदारों के हित में सर्वोच्च न्यायालय का अहम फैसला

माला दीक्षित, नई दिल्ली

आम्रपाली की परियोजनाओं के करीब 42,000 परेशान फ्लैट खरीदारों के लिए सुप्रीम कोर्ट से नई सुबह आई है। उनका अपने घर का सपना साकार होगा। अब सरकारी कंपनी नेशनल बिल्डिंग कांस्ट्रेक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) उनका घर बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह की कंपनियों का रेरा पंजीकरण और आम्रपाली की विभिन्न परियोजनाओं को नोएडा व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मिली लीज (पट्टा) रद कर दी है।

कोर्ट ने वरिष्ठ वकील आर. वेंकटरमणी को कोर्ट रिसीवर नियुक्त करते हुए संपत्ति पर सारे अधिकार उनमें निहित कर दिए हैं। कोर्ट रिसीवर ही खरीदारों को बने हुए फ्लैट सौंपेगा। कोर्ट ने नोएडा व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को इसके लिए जरूरी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है साथ ही पानी बिजली विभाग को आदेश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से फ्लैट खरीदारों को बिजली और पानी कनेक्शन मुहैया कराएं। फ्लैट खरीदारों को भी कोर्ट ने तीन महीने में बकाया पैसा सुप्रीम कोर्ट स्थित यूको बैंक की शाखा में जमा कराने का निर्देश दिया है। यह पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहेगा और कोर्ट के आदेश पर प्रोजेक्ट पूरा होने के लिए समय-समय पर जारी किया जाएगा। कोर्ट ने आम्रपाली की ओर से खरीदारों के साथ की गई धोखाधड़ी पर टिप्पणी में कहा कि कितना फर्जीवाड़ा हुआ इसे बयां करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं। कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर भी सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आम्रपाली के खरीदारों को ही राहत नहीं दी है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि देश भर में अधूरी पड़ी सभी परियोजनाओं को रेरा के मुताबिक, समयबद्ध ढंग से पूरा होना सुनिश्चित करें। घर खरीदने वालों के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। वर्षों से घर पाने के लिए दर-दर भटक रहे आम्रपाली और देश के अन्य हिस्सों में विभिन्न परियोजनाओं में घर खरीदने वाले निवेशकों के हित में यह दूरगामी परिणाम वाला फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने सुनाया है। विस्तृत फैसले में क्रमवार निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने मामले को नौ अगस्त को फिर विचार के लिए लगाने का आदेश दिया है।

- **तीन महीने में बकाया पैसा सुप्रीम कोर्ट स्थित यूको बैंक की शाखा में जमा कराएंगे घर खरीदार**
- **पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच कर कोर्ट में तिमाही रिपोर्ट दाखिल करे : सुप्रीम कोर्ट**

उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर-78 स्थित रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह की बिल्डिंग। प्रेट्र

अधूरी परियोजनाओं का पूरा होना सुनिश्चित करे सरकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की परियोजनाओं में घर खरीदने वाले होम बायर्स के हितों का ध्यान रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों तथा आवास और शहरी विकास के सचिवों को निर्देश दिया है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अन्य राज्यों में अधूरी पड़ी परियोजनाओं को रेरा कानून के मुताबिक, समयबद्ध ढंग से पूरा करना सुनिश्चित करें। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनकी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं उन लीज होल्डरों यानी बिल्डरों पर कार्यवाही की जाए। खरीदारों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए।

नोएडा ग्रेटर नोएडा और बैंक अफसरों की मिलीभगत से हुई धोखाधड़ी : सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि फोरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से फ्लैट खरीदारों के साथ गंभीर धोखाधड़ी हुई। घर खरीदार का पैसा मुखौटा कंपनियां बना कर उनमें स्थानांतरित कर दिया गया। कम पैसे पर फ्लैट बेचे गए। फर्जी बिल बनाए गए और जेपी मॉर्गन कंपनी के जरिये फेमा और एफडीआइ नियमों का उल्लंघन कर घर खरीदारों का पैसा विदेश भेजा गया। खरीदारों से जमा हुई भारी रकम और उसका परियोजनाओं में निवेश देखते हुए बैंक से कर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन खरीदारो से एकत्र धन का इस्तेमाल परियोजनाओं में नहीं किया गया। 2015 से 2018 के बीच कंपनी का कोई अकाउंट तैयार नहीं किया गया और पैसा निकाल कर दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। बैंक और अथॉरिटी ने कोई निगरानी नहीं की। अथॉरिटी की मिलीभगत और कोई कार्यवाही न करके कंपनी को बकाए का भुगतान किए बगैर सबलीज जारी करने की इजाजत दे दी।

शीर्ष अदालत का फैसला एक नजर में

- नोएडा ग्रेटर व नोएडा अथॉरिटी को खरीदारों को फ्लैट बेचने या उनसे बकाया वसूल कर पट्टा देने का अधिकार नहीं होगा।
- नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बैंक अपना बकाया आम्रपाली की जब्त की गई अन्य संपत्तियों की नीलामी से मिली रकम से प्राप्त करेंगी।
- एनबीसीसी परियोजनाओं को पूरा करके खरीदारों को फ्लैट का कब्जा देगी। इसके लिए एनबीसीसी को आठ फीसद कमीशन मिलेगा।
- ईडी फेमा और मनी लांड्रिंग उल्लंघन की जांच करेगा और दोषियों की पहचान करेगा। ईडी और पुलिस मामले की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सीए अनिल मित्तल पर उनकी कारगुजारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। छह महीने के भीतर जांच पूरी कर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपे।
- फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के जिन निदेशकों और लोगों के पास घर खरीदने वालों का पैसा है वे एक महीने के भीतर रकम कोर्ट में जमा कराएं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
- जिन परियोजनाओं में घर खरीदार रह रहे हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी उन परियोजनाओं में एक महीने के भीतर त्रिपक्षीय करार जारी करें और उन परियोजनाओं को पूर्ण होने का प्रमाणपत्र जारी करें। साथ ही खरीदारों के हक में रजिस्ट्री करें। जैसे-जैसे परियोजनाएं पूरी होती जाएं अथॉरिटी यह प्रक्रिया करती रहे। अथॉरिटी इस बारे में जरूरी कार्रवाई करे।

प्राधिकरण का कर्जदार आम्रपाली बिल्डर होता रहा मालामाल पेज>>4

मैंने उसे खिलौना बंदूक खरीदकर दे दी...

तरनतारन : पिता की शहादत के वक्त गुरप्रीत चार साल का था। बार-बार पिता से मिलने की जिद करता। मैं उससे यह कहने की हिम्मत न कर पाती कि पापा अब कभी नहीं आएंगे। उसमें पिता की तरह बहादुरी का जज्बा पैदा हो, इसके लिए मैंने उसे खिलौना बंदूक खरीदकर दे दी...। आइये मिलते हैं कारगिल शहीद अमरजीत सिंह के परिवार से। (पेज-13)

सरोकार

'वजू' का लाखों लीटर पानी जमीन में उतारने की तैयारी

इंदौर : जलसंकट से निपटने के लिए मध्यप्रदेश से मुस्लिम समाज की यह प्रेरक पहल सामने आ रही है। नमाज से पूर्व वजू के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी ड्रेनेज के बजाय जमीन में उतारने की तैयारी है। (पेज-13)

जागरण विशेष

हिमाचल में स्नो हार्वेस्टिंग से बढ़ेगा भूजल स्तर

शिमला : हिमालय पर्वत की शृंखलाओं में अब बर्फ के संचयन की योजना है। हिमाचल इस दिशा में रैन स्नो हार्वेस्टिंग की अवधारणा को धरातल पर उतारेगा। इससे बर्फ के पहाड़ नहीं खिसकेंगे व भूजल स्तर बढ़ेगा। (पेज-13)

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने की समय सीमा को 31 अगस्त 2019 कर दिया। पहले आइटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई 2019 थी।

कर्नाटक में गिरी कुमारस्वामी की सरकार

नाटक खत्म ▶ विश्वास मत के समर्थन में 99 और विरोध में पड़े 105 वोट

येद्दयुरप्पा बोले, जदएस-कांग्रेस सरकार से त्रस्त हो गए थे लोग

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में करीब तीन हफ्ते से चल रहे नाटक का मंगलवार शाम पटाक्षेप हो गया। एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 14 माह पुरानी जदएस-कांग्रेस सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की ओर से पेश विश्वास प्रस्ताव पर मतदान में समर्थन में 99 और विरोध में 105 वोट पड़े। सरकार गिरने के बाद से प्रदेश भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीएस येद्दयुरप्पा ने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया और कहा कि राज्य की जनता कुमारस्वामी सरकार से त्रस्त हो चुकी थी। वहीं, मुंबई में ठहरे गठबंधन के बागी विधायकों ने एलान किया है कि येद्दयुरप्पा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही वे कर्नाटक लौटेंगे।

सत्तारूढ़ गठबंधन के 16 विधायकों के सदन की सदस्यता से इस्तीफे और दो निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस ले लेने के बाद कुमारस्वामी ने गुरुवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जबकि बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने 15 बागी विधायकों को कार्यवाही में शामिल होने या न होने की छूट प्रदान कर दी थी। राज्यपाल वजुभाई वाला ने गुरुवार और शुक्रवार को प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए तीन समय सीमाएं भी तय की थीं, लेकिन सरकार ने उनकी अनदेखी कर दी। मंगलवार शाम चार दिन तक चली चर्चा के बाद प्रस्ताव पर मतदान कराया गया जिसके बाद स्पीकर केआर रमेश कुमार ने सरकार के विश्वास मत हारने की घोषणा की। जदएस-कांग्रेस के 17, बसपा के एक और दो निर्दलीय विधायकों ने कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया।

आखिरकार कर्नाटक की एचडी कुमारस्वामी सरकार विश्वास मत नहीं जुटा सकी। मंगलवार को विधानसभा में विश्वास मत पर वोटिंग के बाद कुमारस्वामी कुछ मुद्रा में दिखे। प्रेट्र

सदन में सरकार की पराजय के बाद विजय चिन्ह बनाते हुए येद्दयुरप्पा ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद राज्य में विकास का एक नया दौर शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से विचार-विमर्श के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा।

इससे पहले चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने विश्वास प्रस्ताव को लंबा खींचने के आरोप पर कहा, 'मैं खुशी-खुशी अपने पद का बलिदान करने के लिए तैयार हूं।' विश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने में देरी का उनका कोई इरादा नहीं था और इसके लिए वह विधानसभा स्पीकर और राज्य के लोगों से माफी चाहते हैं। कुमारस्वामी ने कहा, 2018 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे तब उन्होंने राजनीति छोड़ने की योजना बना ली थी। उन्होंने कहा, 'राजनीति में मेरा प्रवेश भी अचानक और अप्रत्याशित ही था।' कुमारस्वामी ने भाजपा से कहा कि उसकी सरकार भी लंबा नहीं चलेगी और सरकार गिरने की स्थिति में चुनाव में जाना बेहतर होगा। पहला बम तो मंत्रिमंडल के गठन में ही फटेगा। ज्ञात हो, भाजपा ने विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया और सत्तापक्ष की ओर से कई आरोप लगाए जाने के बावजूद उसके सदस्य शांत बैठे रहे। चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्दरमैया ने भाजपा पर रिश्वत और विधायकों के थोक कारोबार के जरिये पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करने में लिप्त होने का आरोप लगाया। बता दें कि बागी विधायकों में से एक रामलिंगा रेड्डी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। सिद्दरमैया ने यह भी कहा कि अगर येद्दयुरप्पा सरकार बनाते हैं तो छह महीने या फिर सालभर सत्ता में रह पाएंगे।

इस्तीफे स्वीकार होने के बाद फैसला करेंगे बागी विधायक : शेट्टार पेज>>6

राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से बैकफुट पर अमेरिका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- **अमेरिकी विदेश मंत्रालय की सफाई, कश्मीर भारत-पाक के बीच का मामला**
- **अमेरिकी सांसद ने ट्रंप के बयान पर भारतीय राजदूत से मांगी माफी**

कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मध्यस्थता के प्रस्ताव संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे ने भारत में सियासी तूफान तो खड़ा कर ही दिया है, अमेरिका में भी घमासान मचा हुआ है। अमेरिकी सरकार को अपने राष्ट्रपति का बचाव करते नहीं बन पा रहा है। कश्मीर को भारत-पाक के बीच का मसला बताकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जहां नुकसान की भरपाई की कोशिश की है, वहीं अमेरिकी संसद के एक प्रभावशाली सदस्य ने अपने राष्ट्रपति के बयान को लेकर भारतीय राजदूत से माफी तक मांग ली है।

अमेरिका के विदेश मंत्रालय के दक्षिण व मध्य एशिया मामलों से संबंधित विभाग के उप सचिव एलिस वेल्स ने कहा, 'कश्मीर दोनों पक्षों के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है। ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान व भारत के बीच मिल बैठ कर इसका समाधान निकालने का स्वागत करता है। अमेरिका इसमें सहयोग देने को तैयार है।'

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा, 'हमारा मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी सफल बातचीत पाकिस्तान द्वारा अपने यहां सक्रिय आतंकवादी गुटों के खिलाफ उठाए जा रहे सतत और अपरिवर्तनीय कदमों पर आधारित है।' वहीं, अमेरिकी सांसदों ने भी कश्मीर पर भारत के पक्ष का समर्थन किया है। अमेरिकी कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य ब्रैड शेरमैन ने तो कहा है कि, 'उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के बचकाने व शर्मिंदगी वाले बयान के लिए भारतीय राजदूत हर्ष शिंगला से माफी मांग ली है। भारत कश्मीर पर हमेशा से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोधी रहा है। सभी को मालूम है कि पीएम मोदी इस तरह का सुझाव नहीं दे सकते हैं।'

विदेशी मामलों पर अमेरिकी संसद कांग्रेस की ताकतवर समिति के अध्यक्ष सांसद एलियट एल एंगल ने भी भारतीय राजदूत सिंगला से बात की। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका की परंपरागत नीति का समर्थन करते हुए कहा कि वह भारत-पाक के बीच वार्ता का समर्थन करते हैं। लेकिन बातचीत का मसौदा और दायरा दोनों देश ही तय कर सकते हैं। समिति की ओर से एंगल ने यह भी कहा है कि भारत के साथ सार्थक बातचीत के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए।

डोनाल्ड ट्रंप फाइल फोटो

ट्रंप के झूठ से सियासी बवाल विदेश मंत्री ने रुख दोहराया

नई दिल्ली : ट्रंप के बयान को भारत ने पूरी तरह से खारिज किया है। संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 'पीएम मोदी ने मध्यस्थता को लेकर ट्रंप से कोई आग्रह नहीं किया है। पाक से किसी भी लंबित मुद्दे पर द्विपक्षीय स्तर पर ही वार्ता हो सकती है। वार्ता तभी होगी जब वह सीमा पार आतंक का खात्मा करे। शिमला समझौते व लाहौर घोषणा पत्र के तहत दोनो देशों के बीच मुद्दों को सुलझाने का पर्याप्त आधार है।' (पेज-5)

अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से अफगानिस्तान भी नाराज

वाशिंगटन : अफगान युद्ध पर ट्रंप के बयान पर अफगानिस्तान ने भी नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा है कि अगर वह चाहें तो अफगानिस्तान को 10 दिनों में दुनिया से मिटाकर 19 वर्षों से चल रहे युद्ध को खत्म कर सकते हैं, लेकिन वह एक करोड़ लोगों को मारना नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान ने ट्रंप के इस बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। (पेज-5)

वाजपेयी और मुशर्रफ के समय हल होने वाला था कश्मीर मसला : इमरान पेज>>5

'खास दोस्त' को पीएम का अनूठा प्यार

नई दिल्ली में मंगलवार को संसद भवन के अपने दफ्तर में भाजपा के राज्यसभा सदस्य सत्य नारायण जटिया की आठ माह की पोती को दुलारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सत्य नारायण जटिया अपने बेटे, बहू और पोती के साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे। (खबर पेज-7 पर) प्रेट्र

लालू, रूडी और चिराग समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जेड प्लस सुरक्षा हटाए जाने के बाद अब गृह मंत्रालय ने कई राजनेताओं को मिली सीआरपीएफ सुरक्षा कवर को घटा दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश राणा, भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी का नाम केंद्रीय सूची (सीआरपीएफ सुरक्षा) से हटा दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान के सीआरपीएफ कवर को भी वापस लेते हुए उनकी सुरक्षा को घटाकर वाई श्रेणी का कर दिया गया है। बसपा सांसद सतीश मिश्रा को जेड प्लस सुरक्षा और भाजपा विधायक संगीत सोम को मिली वाई सुरक्षा को हटा दिया गया है।

जानकारी के अनुसार जेड प्लस सिक्योरिटी में कुल 55 जवान तैनात होते हैं, जिनमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो होते हैं। अब तक अखिलेश की सुरक्षा में 22 एनएसजी कमांडो तैनात थे। गृह मंत्रालय की इस सूची में दर्जन भर नाम और भी ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा में कटौती की गई है। बिहार के नेता साबिर अली, अवतार सिंह भड़ाना, बिहार के पूर्व सांसद जितेंद्र स्वामी, पंजाब के नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी की सुरक्षा सरकार ने पूरी तरह से हटा ली है। बाबूलाल मरांडी को सिर्फ झारखंड में ही जेड श्रेणी सुरक्षा देने का फैसला लिया है। वीरप्पन को मारने वाले विजय कुमार को सिर्फ नक्सल क्षेत्रों और आइजी नलिन प्रभात को कुछ राज्यों में जेड प्लस सुरक्षा मिलेगी। दो अखबार के मालिकों की सुरक्षा भी सरकार ने वापस ले ली है।

सियासी ड्रामा

विधानसभा में बड़ी पार्टी को रोकने के लिए एकजुट हुए थे परस्पर विरोधी दल, गेंद अब राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के पाले में

कर्नाटक में यह तो होना ही था

त्वरित टिप्पणी

प्रशांत मिश्र

दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में पांच-छह दिनों से चल रहे राजनीतिक ड्रामे का यही अंजाम होना था। पहले दिन से ही आपसी द्वंद्व, मनभेद और भितरघात से जूझ रही जदएस-कांग्रेस सरकार आखिरकार गिर गई। कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा में बड़ी पार्टी को रोकने के लिए जिस तरह परस्पर विरोधी दल एकजुट हुए थे, वे बिखर गए। यह सोचना जरूरी है कि 14 महीने तक चली इस सरकार ने यहां तक पहुंचने के लिए कितना समझौता किया होगा। पर यह कहना उचित नहीं होगा कि ड्रामा खत्म हो गया। अभी एक पार्ट खत्म हुआ है, अब देखना है कि आगे की राजनीति किस करवट बैठती है। क्या भाजपा सरकार बनाने की कोशिश करेगी? भाजपा नेता बीएस येद्दयुरप्पा क्या आखिरी पारी खेल पाएंगे? गेंद राज्यपाल के पाले में है और काफी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जानी है।

कर्नाटक में जो कुछ हुआ वह इतिहास में दर्ज होगा। सत्ताधारी दल के विधायकों ने सरकार पर जनता से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में इस्तीफे दे दिए। सरकार को बचाने के हर दांव चले गए। यह जानते हुए कि सरकार बचने वाली नहीं है विश्वास प्रस्ताव लाया गया। विधायकों को परोक्ष रूप से चेताया गया, लेकिन फिर भी बाजी नहीं पलटी। ऐसे लोगों ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया जो लंबे समय से सेनापति रहे थे। खैर इसका जवाब तो कांग्रेस और जदएस को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब देखना यह है कि राजनीति किधर जाती है।

इसमें शक नहीं है कि 73-74 वर्ष के हो चुके येद्दयुरप्पा आखिरी पारी खेलने का हर जतन करेंगे। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि 224 सदस्यों वाली विधानसभा में फिलहाल भाजपा के पास 105 विधायक हैं और कांग्रेस-जदएस के साथ 99 विधायक खड़े हैं। इस्तीफा देने वाले विधायकों की सदस्यता रहेगी या नहीं, इसका अभी पटाक्षेप नहीं हुआ है। गेंद कोर्ट और स्पीकर दोनों के पाले में है। भाजपा नेतृत्व की ओर से अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कर्नाटक में येद्दयुरप्पा को बधाई देने वालों का तांता लगने लगा है। इधर, भाजपा के ही कई विधायकों में संशय घर करने लगा है कि सरकार बनी भी तो क्या उनका अवसर आएगा या फिर वे विधायक बाजी मार ले जाएंगे जिन्होंने कांग्रेस-जदएस से पाला बदलकर यह मौका दिया है। ध्यान रहे कि विधानसभा चुनाव के बाद भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सरकार बनाने का पहला अवसर येद्दयुरप्पा को ही मिला था। लेकिन वह आठ सदस्य भी नहीं जुटा पाए थे। बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर नाराजगी भी जताई थी कि अगर संख्या बल नहीं था तो किरकिरी कराने की क्या जरूरत थी।

जाहिर है अभी कई सवाल खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया जाएगा। सरकार गिर चुकी है और कांग्रेस में नेतृत्व साबित करने के लिए फिर से सिद्दरमैया जैसे नेता अपना प्रभाव दिखाएंगे। भाजपा सरकार बनाती है तो यह दबाव भी होगा कि विधानसभा की घटी हुई संख्या के बल पर ही वास्तविक बहुमत के आधार पर सरकार बनाए। यह सब कुछ एक झटके में हासिल करना संभव नहीं होगा।

कपिल के लिए कानून बदलेगी हरियाणा सरकार

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- **खेल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाने की तैयारी**
- **हरियाणा में पहली बार होगा ऐसा, मगर संरक्षक होंगे राज्यपाल**

हरियाणा के पहले और देश के चौथे खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति (चांसलर) की नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार कानून बदलेगी। हरियाणा में पहली बार राज्यपाल के बजाय खेल से जुड़ी किसी हस्ती को कुलाधिपति बनाया जाएगा, जबकि राज्यपाल संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। वहीं, कुलपति (वाइस चांसलर) की भी अलग से नियुक्ति होगी। खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति के रूप में पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर व पदम भूषण कपिल देव की ताजपोशी तय है।

खेल विश्वविद्यालय का विधेयक आगामी दो अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। किसी तरह की तकनीकी या कानूनी अड़चन नहीं आई तो सरकार यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के साथ ही चांसलर की भी नियुक्ति करेगी। इसके लिए सरकार कानून में बदलाव के लिए भी तैयार है। प्रदेश की सभी सरकारी और सहायता प्राप्त यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति राज्यपाल ही हैं, लेकिन खेल विवि के मामले में सरकार नई परंपरा शुरू करेगी।

कपिल देव फाइल फोटो

कुलाधिपति और कुलपति के चयन पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया गया है। विधानसभा में विधेयक पारित होते ही इनके चयन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

खेल विवि राई के लिए सरकार कपिल देव के संपर्क में है। कुलपति पद के लिए भी किसी नामचीन खिलाड़ी का चयन किया जाएगा। आइएएस-आइपीएस या दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों या शिक्षाविदों के बजाय इस यूनिवर्सिटी की कमान पूरी तरह से खेलों के जानकार लोगों के हाथों में होगी।

सोनीपत के राई में चल रहे मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स कैंपस में ही यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। खेल स्कूल के पास साढ़े 350 एकड़ जमीन है, जिस पर यूनिवर्सिटी आसानी से स्थापित हो सकती है। लगभग 630 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस यूनिवर्सिटी को सरकार जल्द शुरू करना चाहती है। यह यूनिवर्सिटी राज्य के खेल एवं युवा मामले मंत्री अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट रही है।

मानसून सत्र में ही खेल विवि का विधेयक पारित कर दिया जाएगा। सैद्धांतिक तौर पर यूनिवर्सिटी में कुलाधिपति और कुलपति की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। राज्यपाल संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। कानून में इस तरह के प्रावधान हैं। कुलाधिपति के लिए कपिल देव के नाम पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। कुलाधिपति और कुलपति के चयन के लिए हाई लेवल चयन कमेटी गठित होगी।

-अनिल विज, खेल एवं युवा मामले मंत्री